अविप्रा अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर अविप्रा

क्रमांक/अविप्रा/संस्था/प.1/2021/ 578 दिनांक 24 SEP 2021

बैठक कार्यवाही विवरण

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की 21 वी. प्राधिकरण बैठक दिनांक 17.09.2021 को अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

1. श्री प्रकाश राजपुरोहित , जिला कलक्टर, अजमेर एवं अध्यक्ष अ.वि.प्रा, अजमेर।
2. श्रीमती बृजलता हाड़ा, मेयर, नगर निगम, अजमेर।
3. श्री अक्षय गोदारा, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. श्री किशोर कुमार, सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. श्री भूपेन्द्र कुमार, वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर।
6. श्री राजीव कुमार,अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर।
7. श्री एन.के.भटनागर, अधिक्षण अभियंता, अजमेर विधुत वितरण, निगम, लि. अजमेर
8. श्री त्रिलोचन कुमावत अधिशाषी अभियंता (प्रतिनिधि) सभापति, नगर परिषद किशनगढ़।
9. श्री लक्ष्मीनारायण रावत, कनिष्ठ अभियंता (प्रतिनिधि), अध्यक्ष नगर पालिका पुष्कर।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यगणों का सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा स्वागत किया गया। स्वागतोपरान्त अजमेर विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 06.07.2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना से अवगत करवाया गया ।

इसके पश्चात् बिन्दुवार ऐजेण्डा के समस्त बिन्दुओं पर प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कार्यवाही प्रांरम्भ कर निम्नानुसार चर्चा कर निर्णय लिये गयेः–

(किशोर कुमार)
सचिव
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

Scanned with CamScanner

अविप्रा अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर अविप्रा

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की दिनांक 17.09.2021 को आयोजित 21 वीं प्राधिकरण बैठक कार्यवाही विवरण।

प्रस्ताव संख्या	विवरण	अनुभाग
1	अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की 20 वी. प्राधिकरण बैठक दिनांक 06.07.2021 को आयोजित बैठक की पुष्टि । निर्णयः— प्राधिकरण की बैठक में समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से गत बैठक दिनांक 06.07.2021 की प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।	सचिव
2	महावीर इन्टरनेशनल एसोसिएशन भूमि आवंटन बाबत प्रस्ताव पर चर्चा। श्री शान्तिकुमार जैन व श्री अनिल कुमार जैन द्वारा महावीर इण्टरनेशनल एसोसिएशन हेतु निर्धारित प्रपत्र मे दिनांकः—05.07.2021 को 5000/— रूपये के ड़ी.डी के साथ भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया संस्था ने माकड़वाली, पंचशील, कोटड़ा, पुष्कर रोड़ व पृथ्वीराज नगर योजना मे 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का आग्रह किया। पुनः दिनांक 07.09.2021 को पत्र के माध्यम से सूचित किया कि भूमि उपलब्धता के आधार पर 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन पर संस्था ने अपनी सहमति व्यक्त की है। उक्त बाबत् पृथ्वीराज नगर योजना मे रिजर्व ओसीएफ मे भूमि का चिन्हिकरण किया गया है। विधि शाखा द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि योजना क्षेत्र मे तथा किसी प्रकार का विवाद लम्बित नही है। अवाप्ति शाखा द्वारा अवगत कराया कि प्रस्तावित भूमि सिवायचक होने से प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमि है। नियमन शाखा द्वारा अवगत कराया गया किसी प्रकार का नियमन नही हुआ है। संस्था के पक्ष मे भूमि आवंटन किये जाने हेतु आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर 15 दिवस मे आपत्ति मांगे जाने हेतु विज्ञप्ति दिनांकः—08.09.2021 को प्रकाशित करा दी गई है। अतः पृथ्वीराज नगर योजना मे ओसीएफ आरक्षित भूमि मे से चिन्हित 500 वर्गमीटर भूमि को आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 11.5 के अनुसार आरक्षित दर + 15 प्रतिशत दर पर महावीर इण्टरनेशनल एसोसिएशन हेतु आवंटन का प्रस्ताव अजमेर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मे अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः— प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से राज्य सरकार को प्रकरण बनाकर उचित कार्यवाही हेतु भेजने के प्रस्ताव को सैद्वान्तिक रूप से सहमति प्रदान कर अनुमोदन किया गया।**	प्रभारी अधिकारी भूमि आवंटन प्रभारी अधिकारी आवंटन अ. वि. प्रा., अजमेर
3	दीपक नगर योजना में खनन हेतु खनिज विभाग को एनओसी जारी कराने के सबंध मेंप्रस्ताव पर चर्चा। अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की दीपक नगर योजना ग्राम कांकरदा भूणाबाय, मदारपुरा, रसूलपुरा व घूघरा में धारा 32(1) की अधिसूचना दिनांक 15.09.1990 को जारी कर बनाई गयी थी, जिसकी भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(1) व 6(1) की अधिसूचना जारी की जाकर अवार्ड दिनांक 10.03.1995 को जारी किया गया। योजना क्षेत्र में ग्राम कांकरदा भूणाबाय, रसूलपुरा, मदारपुरा एवं घूघरा की 1102—00—00 बीघा खातेदारी भूमि एवं 1032—00—00 बीघा सिवायचक भूमि कुल 2134—10—00 बीघा भूमि अवाप्त की गई थी । उक्त योजना क्षेत्र में 90 प्रतिशत भूमि उपशासन सचिव खान (ग्रुप—1) विभाग	प्रभारी भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रभारी अधिकारी आवंटन अ. वि. प्रा., अजमेर

Scanned with CamScanner

जयपुर द्वारा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को आदेश दिनांक 28.05.1993 के खनन पट्टे पर दिये जाने तथा जिंक क्षेत्र से प्रभावित होने से न्यास द्वारा योजना की क्रियान्विति नही की जा सकी इस कारण उक्त योजना का मुआवजा भुगतान भी खातेदारों को आज दिनांक तक नही किया जा सका न ही खातेदारों की अवाप्तशुदा खातेदारी भूमि का कब्जा प्राप्त किया जा सका मात्र 08–19–10 बीघा भूमि का उपयोग प्राईवेट बस स्टेण्ड निर्माण में किया गया हैं एवं मुआवजा राशि सक्षम न्यायालय में जमा कराई गई हैं।

उक्त योजना प्राधिकरण द्वारा आज दिनांक तक मुआवजा राशि भुगतान नही करने खातेदारों से उनकी अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त नही किये जाने एवं उक्त जिंक क्षेत्र होने के कारण योजना की क्रियान्विति नही की जा सकी।

खनन हेतु प्रस्तावित भूमि पर विभिन्न न्यायालयों यथा सिविल, राजस्व एंव माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लम्बित हैं जिनकी सं. 27 हैं एवं प्रभावित कुल खसरा 26 हैं।

जिंक खनन हेतु एन ओ सी जारी किये जाने वास्ते प्रस्ताव 15वी. बोर्ड बैठक दिनांक 01.07.2020 में उपायुक्त (उत्तर) द्वारा रखा गया था बैठक में प्राधिकरण सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गई, प्रभारी अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तर ने चर्चा करते हुये बताया कि जिंक खनन हेतु प्रस्तावित भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की दीपक नगर का भाग होने, मास्टर प्लान 2023 में नगरीय क्षेत्र होने, राज्य सरकार के पत्र दिनांक 05.10.2017 में उल्लेखित शर्तो के विपरीत होने, आस–पास मे घनी आबादी विकसित होने, पास से जयपुर अजमेर हाईवे स्थित होने, पास में सरकारी कार्यालय होने, प्रस्तावित भूमि में कुछ भूमि मौके पर जल भराव की होने, माननीय न्यायालय प्रकरण 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के विपरित होने के कारण खनन हेतु अनापत्ति दिया जाना उचित नही होगा।

प्रभारी अधिकारी आवंटन
अ. वि. प्रा., अजमेर

बाद चर्चा प्रस्ताव पर प्राधिकरण के समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से हिन्दुस्तान जिंक लि. को खनन हेतु भूमि की अनापत्ति देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव प्रथम नगरीय विकास विभाग, जयपुर का पत्रांक पं.6 (321) नविवि/अविप्रा/2010/जयपुर दिनांक 08.09.2021 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें खनिज विभाग को एनओसी दिये जाने के विषय में प्राधिकरण राय चाही गई है।

खनिज विभाग को एनओसी जारी किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्राधिकरण की राय से अवगत कराया जाना है। पूर्व में खनिज विभाग द्वारा दीपक नगर योजना के बहुत बडे भू–भाग में खनन हेतु अनापत्ति चाही गई थी अतः खनिज विभाग को दीपक नगर योजना में खनन हेतु अनापत्ति जारी किये जाने बाबत् प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है।

खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा पुनः वार्ता की गई एवं उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अब उन्हे मात्र 25–30 हेक्टेयर भूमि पर ही खनन हेतु अनापत्ति प्रदान की जावे साथ ही इस बाबत भी अपनी सहमति प्रकट की कि पूर्व मे जिन बिन्दुओं/आपत्तियों पर पूर्व प्राधिकरण बैठक मे प्रस्ताव खारिज किया गया था। उन सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का निराकरण खनिज विभाग द्वारा अपने स्तर से करा लिया जायेगा एवं सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति स्वीकृति आदि की कार्यवाही खनिज विभाग द्वारा अपने स्तर पर करवा ली जावेगी।

चूंकि अब खनिज विभाग द्वारा प्राधिकरण की दीपक नगर योजना की अवाप्तशुदा भूमि में से मात्र 25–30 हेक्टेयर भूमि की ही अनापत्ति चाही जा रही है एवं जो भूमि उनके द्वारा चिन्हित की गई है उसमे अधिकांश भूमि पहाड़ी क्षेत्र की भूमि है तथा प्राधिकरण के लिए बहुत उपयोगी भूमि नही है साथ ही उनके द्वारा पूर्ण आश्वस्त किया गया है कि पूर्व मे जिन बिन्दुओं/आपत्तियों पर पूर्व प्राधिकरण बैठक मे प्रस्ताव खारिज किया गया था। उन सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का निराकरण खनिज विभाग द्वारा अपने स्तर से करा लिया जायेगा एवं सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति स्वीकृति आदि की कार्यवाही खनिज विभाग द्वारा अपने स्तर पर करवा ली जावेगी। अतः निम्न बिन्दुओ को दृष्टिगत रखते हुये अनापत्ति दिये जाने के विषय में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनापत्ति दिये जाने से खनन क्षेत्र से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी।

अनापत्ति दिये जाने से प्राधिकरण को भी पर्याप्त आय होगी।

खनन कार्य प्रारम्भ होने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी आस–पास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को रोजगार प्राप्त होगा।

Scanned with CamScanner

	अतः उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत एवं खनिज विभाग द्वारा पूर्व प्राधिकरण बैठक के आपत्ति बिन्दुओं का अपने स्तर पर निराकरण कराये जाने की प्रत्याशा मे सशर्त एनओसी दिये जाने के सन्दर्भ में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः— प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वाराएजेण्डा में प्रस्तुत तथ्यों पर विस्तार विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए विषयाधीन भूमि को खनन हेतु उपयोग के लिए सशर्त अनापत्ति राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति के पश्चात अग्रिम कार्यवाही बाबत प्रकरण प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।**	
4	**ग्राम चाचियावास में विशेष योग्य जन बालिका बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव पर चर्चा।** दिनांक 29.06.2021 को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अजमेर ने निर्धारित प्रपत्र 'स' मे विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के आवासीय विद्यालय संचालन हेतु एक हैक्टेयर भूमि आवंटन का आवेदन प्रस्तुत किया, पुनः दिनांक 07.07.2021 को 2.5 हैक्टेयर भूमि का संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया। इसके संबंध मे ग्राम चाचियावास के खसरा नम्बर 665, 665/2843, 659, 671, 658, 652/2188, 634/2588, 645/2589, 648/2591 कुल किता 9 कुल क्षेत्रफल 5.16 हैक्टेयर भूमि का चयन भू–अभिलेख शाखा द्वारा किया गया। नियोजन शाखा द्वारा भू–उपयोग मास्टर प्लान 2033 के अनुसार नॉलेज सिटी है। जो बालक बालिकाओं हेतु विद्यालय आवास हेतु अनुज्ञेय है। विधि शाखा द्वारा किसी प्रकार का वाद अथवा स्थगन नही है। नियमन शाखा द्वारा उक्त भूमि में कोई नियमन नही किया गया। व अवाप्ति शाखा द्वारा प्रस्तुत रिपार्ट में उक्त भूमि प्राधिकरण की किसी भी योजना में अवाप्तशुदा या अवाप्ताधीन नही है। प्रस्तावित स्थल 200 फुट चौड़ी सीकर रोड़ पर स्थित है। अतः ग्राम चाचियावास की उक्त नॉलेज सिटी की 5.16 हैक्टेयर भूमि मे से 2.5 हैक्टेयर भूमि विशेष योग्यजन बालक–बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय के लिए आंवटन नीति 2015 के बिन्दु सं. 9.3 के अनुसार निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदनार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः— प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वाराबाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से राज्य सरकार को प्रकरण बनाकर उचित कार्यवाही हेतु भेजने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**	**प्रभारी अधिकारी भूमि आवंटन**
5	**पुलिस थाना श्रीनगर को भूमि आवंटन प्रस्ताव पर चर्चा।** दिनांक 15.07.2021 को पुलिस अधीक्षक, अजमेर के द्वारा पुलिस थाना श्रीनगर जिला अजमेर के भवन हेतु तहसील नसीराबाद के ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 3127/7284 रकबा 0.70 हैक्टेयर मे से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'स' आवेदन में प्रस्तुत किया है। इसके संबंध मे ग्राम श्रीनगर मे भू–अभिलेख शाखा द्वारा खसरा नम्बर 3127/7284 रकबा 0.70 हैक्टेयर मे से 2000 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई। नियोजन शाखा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान अनुसार ग्रामीण क्षेत्र है। ड़ी.पी.सी.आर. अनुसार ग्रामीण क्षेत्र मे पुलिस स्टेशन 12 मीटर मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का वाद अथवा स्थगन नही है। नियमन शाखा द्वारा उक्त भूमि में कोई नियमन नही किया गया व अवाप्ति शाखा द्वारा प्रस्तुत रिपार्ट में उक्त भूमि प्राधिकरण की किसी भी योजना में अवाप्तशुदा या अवाप्ताधीन नही है। प्रस्तावित भूमि हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 से 25 फुट मार्गाधिकार (रास्ता) उपलब्ध है। तत्श्चात 50 फुट मार्गाधिकार (रास्ता) उपलब्ध है। नियोजन शाखा के प्रस्तावानुसार भूमि के समक्ष मार्गाधिकार को 60 फीट किया जाकर आवंटन किया जाना उचित होगा। अतः ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 3127/7284 रकबा 0.70 हैक्टेयर मे से 2000 वर्गमीटर भूमि	**प्रभारी अधिकारी भूमि आवंटन**

Scanned with CamScanner

	पुलिस थाना श्रीनगर के लिए आंवटन नीति 2015 के बिन्दु सं. 9.3 के अनुसार निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदनार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वाराबाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।**	
6	**उच्च जलाशय निर्माण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर चर्चा।** सहायक अभियंता नगर उपखण्ड़ चतुर्थ जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'स' मे पंचशील नगर योजना के ई–ब्लॉक मे 30X30 = 900 वर्गमीटर भूमि का आवेदन दिनांक 05.04.2021 को प्राप्त हुआ। नियोजन शाखा द्वारा पंचशील नगर योजना ई–ब्लॉक मे सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित क्षेत्र मे से भूमि चिन्हित की गई। भू–अभिलेख शाखा द्वारा अवगत कराया गया की प्रस्तावित भूखण्ड़ ग्राम माकड़वाली के वर्किंग खसरा नम्बर 1181 के स्थित है। विधि शाखा द्वारा उक्त भूमि पर वाद या स्थगन नही है। नियमन शाखा द्वारा कोई भी नियमन नही किया गया है। अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूमि प्राधिकरण द्वारा अवाप्तशुदा नही है। इस प्रकार पंचशील नगर योजना के ई–ब्लॉक मे सहायक अभियंता नगर उपखण्ड़ चतुर्थ जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग अजमेर को उच्च जलाशय निर्माण हेतु 30X30 = 900 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदनार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वाराबाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।**	प्रभारी अधिकारी भूमि आवंटन प्रभारी अधिकारी आवंटन अ. वि. प्रा., अजमेर
7	**नगर निगम अजमेर को भूमि का आवंटन प्रस्ताव पर चर्चा।** आयुक्त, नगर निगम, अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक पी.ए/सी.एम.सी/64 दिनांक 14.09.2021 से प्रार्थना पत्र द्वारा नगर निगम, अजमेर को प्राधिकरण की हरिभाऊ उपाध्याय नगर (विस्तार) योजना मे नगर निगम हेतु भूमि आवंटन चाहा गया है। इस बाबत् प्राधिकरण की हरिभाऊ उपाध्याय नगर (विस्तार) योजना मे श्रम आयुक्त कार्यालय के समीप रिक्त भूमि क्षेत्रफल 3235.86 वर्गगज का चयन नियोजन शाखा द्वारा किया गया। चिन्हित भूमि अवाप्ति शाखा रिपोर्ट अनुसार प्राधिकरण की हरिभाऊ उपाध्याय नगर (विस्तार) योजना सिवायचक व खातेदारी से अवाप्तशुदा भूमि है। विधि शाखा व भू–अभिलेख शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूमि पर कोई वाद नहीं है व स्थगन से प्रभावित नही है। अतः आयुक्त, नगर निगम, अजमेर को प्राधिकरण की हरिभाऊ उपाध्याय नगर (विस्तार) योजना मे उपलब्ध रिक्त भूमि जो कि श्रम आयुक्त कार्यालय के समीप है, जिसका क्षेत्रफल 3235.86 वर्गगज है का नगर निगम हेतु निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मे अनुमोदनार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वाराबाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से राज्य सरकार को प्रकरण बनाकर उचित कार्यवाही हेतु भेजने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**	प्रभारी अधिकारी भूमि आवंटन प्रभारी अधिकारी आवंटन अ. वि. प्रा., अजमेर
8	**वैटलैण्ड एवं JNNURM के खातों में शेष राशि स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर के खाते में स्थानांतरित करने बाबत प्रस्ताव पर चर्चा।** अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार स्थानीय निधियों का मेंचिंग शेयर जमा नही होने के कारण केन्द्रीय सरकार ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को आगामी किश्त देने मे असमर्थता व्यक्त की है, इसलिए	निदेशक वित्त (राजकिशोर मीना) निदेशक वित्त

Scanned with CamScanner

प्राधिकरण को 10 प्रतिशत अंशदान राशि रूपये 28.00 करोड दिया जाना है। प्राधिकरण को विभिन्न मदों एवं बैंक खातों से इतनी राशि उपलब्ध नही है। केवल निम्न खातों में अंकितानुसार राशि उपलब्ध है:–

क्र.स.	मद	बैंक	उपलब्ध राशि
1	वैटलेण्ड	बैंक ऑफ बडौदा	1945.78 लाख
2	सीवरेज JNNURM	बैंक ऑफ बडौदा	625.10 लाख

अत्यावश्यक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार प्राधिकरण की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याक्षां में प्राधिकरण के आदेश क्रमाक 179 दिनांक 15.07.2021 में वैटलेण्ड खाते राशि रूपये 15 करोड एवं JNNURM सीवरेज खाते से राशि रूपये 5 करोड कुल 20 करोड रूपये स्मार्ट सिटी लिमिटेड को दिनांक 16.07.2021 को हस्तांतरित की गई थी। अब प्राधिकरण के अन्य खातों में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने से वेटलैण्ड खाते से आहरित राशि रू. 15.00 करोड दिनांक 26.08.2021 को वेटलेण्ड खाते मे जमा करा दिया गया है।

उक्त प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 08.09.2021 के प्रस्ताव सं. 04 से अनुमोदन किया जा चुका है।

प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वाराबाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

(राजकिशोर मीना)
निदेशक वित्त

9 **ट्यूरिस्ट फैसेलिटी/होटल योजना, राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर की संशोधित आरक्षित दर निर्धारित करने के क्रम में प्रस्ताव पर चर्चा।** — निदेशक अभियांत्रिकी

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पुष्कर स्थित ग्राम गनाहेड़ा मे मुख्यत: होटलों के भूखण्ड प्रस्तावित कर ट्यूरिस्ट फैसेलिटी/होटलयोजना की 16वी बोर्ड बैठक दिनांक 09.10.2020 द्वारा स्वीकृति दी गई थी। उक्त योजना का क्षेत्रफल 79295.64 वर्ग.मी. है एवं संशोधित ले आउट प्लान भवन मानचित्र समीति (ले आउट प्लान) द्वारा दिनांक 13.08.2020 को स्वीकृत किया गया है। योजना प्रारम्भ करने से पूर्व आरक्षित दर निकालना आवश्यक होता है। पूर्व में 16वी बोर्ड बैठक दिनांक 09.10.2020 द्वारा उक्त योजना की आरक्षित दर राशि `11300/– प्रति वर्गमीटर स्वीकृत की गई थी।

उक्त योजना में 03 बार प्राधिकरण द्वारा नीलामी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था किन्तु किसी बोलीदाता द्वारा नीलामी में भाग नहीं लिया गया। चूंकि होटल हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल अधिक है इसलिये भूखण्ड की कीमत कम करने हेतु प्राधिकरण द्वारा ग्राम होकरा एवं सूरजकुण्ड में स्वीकृत योजना के आधार पर सीवर लाईन एवं पेयजल व्यवस्था की सुविधा को शामिल न करते हुये एंव अन्य विकास कार्यो में आवश्यक नियमानुसार संशोधन करते हुए ट्यूरिस्ट फैसेलिटी/होटल योजना गनाहेड़ा की आरक्षित दर की पुनः गणना की गई है। नगरीय विकास विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 16.09.2019 द्वारा राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974) के संशोधित नियम 12(3) अनुसार स्वीकृत योजना की आरक्षित दर संशोधित की जा सकती है।

योजना में निम्न विकास कार्य प्रस्तावित किये गये है एवं अनुमानित लागत निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	विकास कार्यो का विवरण	लागत (लाखों में)
1	Survey & Demarcation work	1.00
2	Road work	140.23
3	Parking	51.19
4	Drain work	122.24
5	Electrification work L.T/H.T	165.00

Scanned with CamScanner

	line, Street Light	
6	Arboriculture and park development	50.00
7	Scheme signs boards & Welcome gates	11.36
	कुल	**541.02**

उक्तानुसारयोजना में विकास कार्यों पर अनुमानित व्यय राशि 541.02 लाख होगा। भूमि की लागत वर्तमान DLC दर पर राशि 529.67 लाख आंकलन की गई है। विक्रय योग्य क्षेत्रफल होटल हेतु 27115.28 वर्ग.मी. व व्यावसायिक क्षेत्रफल 4533.55 वर्ग.मी. है। गणना अनुसार योजना की संशोधित व्यावसायिक आरक्षित दर राशि 5210/– प्रति वर्ग.मी. आई है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष आरक्षित दर की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वाराबाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

(महेन्द्र कुमार माथुर)
अति. मुख्य अभियन्ता
अ. वि. प्रा., अजमेर

10	**स्पिनफैड़ कार्मिकों को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में समायोजित किये जाने के पश्चात् आमेलित/समायोजित कार्मिकों की वरिष्ठता, वेतनमान, सामान्य भविष्यनिधि, कर्मचारी पेंशन, सेवानिवृत्ति से पूर्व व पश्चात् के सम्पूर्ण परिलाभ एवं प्राधिकरण कर्मचारियों को देय नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत नियमों को प्रभावी किये जाने के अनुमोदन बाबत् प्रस्ताव पर चर्चा।** प्राधिकरण की 20 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06.07.2021 के निर्णय संख्या 05 के अनुसार पूर्व में गठित कमेटी को निर्देशित किया जाना है वह अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के मूल कर्मचारियों एवं स्पिनफैड के कर्मचारियों को बुलाकर उनसे लिखित में ज्ञापन प्राप्त करके नियमानुसार उचित कार्यवाही के प्रस्ताव के साथ अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय की पालना में सचिव, निदेशक वित्त, निदेशक विधि, उपायुक्त प्रशासन एवं संस्थापन प्रभारी की कमेटी ने अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से प्राप्त लिखित ज्ञापन प्राप्त किया गया तथा अध्यक्ष एवं संरक्षक को व्यक्तिगत बुलाकर सुनवाई की गई। कर्मचारी संघ को मूल आक्षेप समायोजन से पूर्व वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करना, नगर निगम के समायोजित कार्मिको पेंशन नही मिलना एवं प्राधिकरण पर वित्तीय भार पडना इत्यादि थे। इस बाबत् स्पिनफैड कार्मिको का ज्ञापन भी प्राप्त हुआ। कमेटी ने ज्ञापन का अध्ययन किया तथा अनुशंसा की कि मंत्रीमण्डल की आज्ञा 131/2016 के अनुसार बिन्दु संख्या 07 में अंकित प्रस्तावो का अनुमोदन किया गया है। संशोधित मंत्रीमण्डलीय ज्ञापन बिन्दु 07 के उपबिन्दु 03 के अनुसार प्रस्ताव पर कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है। प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.5 (4)नविवि/II/2017 दिनांक 16.02.2021 के क्रम में आमेलित/समायोजित कार्मिको की सेवानिवृति परिलाभो को अपने स्तर पर ही कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन नियम)1996 के अनुसार 2004 से पूर्व के सभी कार्मिको को पेंशन देय है। निदेशक विधि ने अवगत कराया कि Government of Rajasthan appointment (All) department notification dated Nov. 27 1969 For Rajasthan Civil Services (Absorption of surplus Personnal) के अनुसार सरप्लस कार्मिको के समायोजन पर सेवा परिलाभ देय है, चूंकि स्पिनफेड के उक्त कार्मिको को मंत्रीमण्डलीय आज्ञा से अनुमोदन होने के पश्चात् प्राधिकरण में अपनी सेवाएं दी है जिससे कार्मिक एवं वित्त विभाग सहमत है तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा उक्त कार्मिकों को आमेलित/समायोजितं करने हेतु प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लेने के अधिकार दिए है। पेंशन नियम 1996 एवं Rajasthan Civil Services absorption of surplus personnal . के अनुसार कार्मिको को पेंशन पाने का अधिकार है।	**प्रभारी अधिकारी संस्थापन** सुनिता यादव उपायुक्त अ. वि. प्रा. अजमेर

Scanned with CamScanner

परीक्षण हेतु गठित कमेटी में प्राधिकरण की 20वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06.07.2021 के प्रस्ताव संख्या 05 के अनुमोदन की अनुशंसा की है। इसलिए निम्न प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में अनुमोदन कि लिए रखा जाता है :–

राजस्थान सरकार, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, के पत्र क्रमांक प.5 (4)नविवि/।।/2017 दिनांक 30.08.2019 के तहत् राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एण्ड जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि. (स्पिनफैड) जयपुर के योग्यताधारी स्टॉफ कर्मचारियों को प्राधिकरण संचालक मण्डल बैठक दिनांक 28.09.2018 के प्रस्ताव संख्या 2018/02(5) द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव तथा मंत्रीमण्डल आज्ञा संख्या 131/2016 की पालना में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में आमेलित/समायोजित करने की एतद् द्वारा क्रमांक संख्या 1 से 17 तक के कार्मिकों को समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, के पत्र क्रमांक प.5(4)नविवि /।।/2017 दिनांक 16.02.2021 के अनुसार सेवानिवृत्ति परिलाभों के क्रम में निदेशक विधि, निदेशक वित्त के परीक्षाणोंपरान्त कार्यकारी समिति के अनुमोदन पश्चात नियमों/अधिनियमों की पालना करते हुये अपने स्तर पर ही निर्णय लिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

आयुक्त महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक :– अ.वि.प्रा/संस्था/प. 1/2021–22/33 दिनांक 11.06.2021 के द्वारा स्पिनफैड के कार्मिकों के सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित परिलाभों के बारे में निर्णय हेतु निम्नानुसार कमेटी का गंठन किया गया।

सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	अध्यक्ष
उपायुक्त (उत्तर) एवं संस्थापन शाखा प्रभारी	सदस्य सचिव
निदेशक वित्त	सदस्य
निदेशक विधि	सदस्य

कमेटी द्वारा निम्नानुसार सेवानिवृत्ति परिलाभों के सम्बन्ध में अनुशंषा की गई।

स्पिनफैड से प्राधिकरण में समायोजित (17) कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर उपस्थिति दिनांक से प्रभावी होगा एवं प्राधिकरण में कार्यरत कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारियों से उक्त कार्मिक वरिष्ठता क्रम में कनिष्ठ रहेंगे।

स्पिनफैड से प्राधिकरण में समायोजित (17) कार्मिकों के आमेलित/ समायोजन के परिलाभ (प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति दिनांक से पूर्व) अर्थात् ग्रेज्यूटी, शेष उपार्जित अवकाश का भुगतान पैतृक विभाग (स्पिनफैड) द्वारा प्राधिकरण, कोष में जमा करवाया जायेगा। जिसे आमेलित/समायोजित (17)कार्मिकों के सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को भुगतान किया जायेगा।

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, के पत्र क्रमांक प.5(04) नविवि/।।/2017 दिनांक 30.08.2019 में वर्णित स्पिनफैड से प्राधिकण में समायोजित (17) कार्मिकों की सेवाओं को प्राधिकरण में नियमित माना जायेगा।

स्पिनफैड से प्राधिकरण में समायोजित (17) कार्मिकों के आमेलित/ समायोजित कार्मिकों के पूर्व के कर्मचारी भविष्य निधि/परिवार पेंशन की राशि, प्राधिकरण के सामान्य भविष्य निधि, पेंशन अंशदान/कर्मचारी राज्य बीमा में समायोजित की जायेगी। जो नियमानुसार सेवानिवृत्ति पर ही देय होगी एवं आमेलित/ समायोजित आदेश जारी होने की दिनांक से नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि अंशदान/पेंशन अंशदान/ कर्मचारी राज्य बीमा इत्यादि वैधानिक दायित्वों क कटौती चालू माह के वेतन से की जायेगी।

राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की भांति (प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों के समान) राजस्थान सेवा नियम व आचरण, वर्गीकरण एवं नियन्त्रण नियम 1958 भी लागू होंगे)।

स्पिनफैड से प्राधिकरण में समायोजित (17) कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा संशोधित वेतनमान, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, उपार्जित अवकाश (समर्पित) भुगतान, बोनस, प्रोत्साहन राशि इत्यादि प्राधिकरण कर्मचारियों पर समय–समय पर जो निर्णय प्रभावी किये जायेंगे। वह स्पिनफैड के समायोजित कार्मिकों पर भी लागू होंगे।

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, के पत्र क्रमांक प. 5(4)नविवि/।।/2017 दिनांक 16.02.2021 के क्रम में प्राधिकरण कर्मचारियों को

Scanned with CamScanner

सेवानिवृत्ति पश्चात् देय समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों के समान स्पिनफैड़ से प्राधिकरण में समायोजित (17) कार्मिकों को भी प्राधिकरण में लागू राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन नियम 1996) के अनुरूप समस्त परिलाभ दिये जाने के प्रस्ताव को कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28.06.2021 में सर्वसम्मति से पारित कर प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया था।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः—सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय दिया कि स्पिनफैड कार्मिकों का जो पेंशन अंशदान पूर्व में काटा जा रहा है उसकी कटौती प्राधिकरण में समायोजन की तिथि से राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप की जाये । प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

11 **अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में कार्यरत सविंदा व अन्य कर्मगारों एवं सुरक्षा कर्मियों के घायल/मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि देने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा।**

प्रभारी अधिकारी संस्थापन

सुनिता यादव
उपायुक्त
वि॰ प्रा॰ अजमेर

प्राधिकरण प्रशासन द्वारा प्रदत्त आदेशों/निर्देशों की पालना में क्षेत्राधिकारों में अनाधिकृत निर्माण एवं भूमियों पर अतिक्रमण हटाने गये दस्ते पर पथराव, हमले या ड्यूटी के दौरान दुर्घटना हो जाने के कारण चोट लग जाती है जिसके इलाज में उनके द्वारा सरकारी इलाज के अलावा कई अप्रतिपूर्ति योग्य राशि, स्वास्थ्य रिकवरी परिवार का पोषण इत्यादि की व्यवस्था करनी पडती है जिससे व्यक्ति के परिवार पर काफी आर्थिक भार पडता है। ड्यूटी पर कार्यरत व्यक्ति के घायल/मृत्यु होने पर प्राधिकरण का यह दायित्व बनता है कि उनकी इस कठिन समय में उसकी एवं उसके परिवार की आर्थिक कठिनाईयों को ध्यान रखें।

अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के नियम 8(III) के अनुसार प्राधिकरण के प्रबन्ध के लिए आन्तरिक प्रक्रिया प्रख्यापित (Promulgated)करने की शक्तियॉ प्रदत्त है।

उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिक्रमण दस्ते में गयें कार्मिकों, कर्मगारों एवं सुरक्षाकर्मियों के चोटिल होने पर स्वयं/परिवार की आर्थिक मदद हेतु प्राधिकरण कोष से निम्नानुसार अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रस्ताव रखा जाता है।

सामान्य घायल — रू. 10000/—
अधिक घायल — रू. 25000/—
गम्भीर घायल — रू. 50000/—
मृत्यु होने पर — रू. 100000/—

अनुग्रह राशि के निर्धारण हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है।

सचिव — अध्यक्ष
उपायुक्त संस्थापन —सदस्य सचिव
निदेशक विधि —सदस्य
निदेशक वित्त —सदस्य
निदेशक अभियांत्रिकी —सदस्य

उक्त समिति प्राप्त राजकीय मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण कर अनुग्रह राशि देने की सिफारिश करेगी, आयुक्त/अध्यक्ष महोदय की सहमति से कमेटी की सिफारिश अमल में लाई जाएगी।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

Scanned with CamScanner

	प्राधिकरण की छतरी योजना नगर निगम अजमेर को हस्तान्तरित करने बाबत प्रस्ताव पर चर्चा। तत्कालिन नगर सुधार न्यास वर्तमान अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा दिनांक 22.07.1988 को छतरी योजना की लॉटरी निकाली जाकर आवंटन पत्र जारी किये गये। छतरी नगर योजना वर्ष 1988 की योजना है जो कि काफी पुरानी है एवं उक्त योजना मे लगभग 80 से 85 प्रतिशत तक आवंटित भूखण्डो पर निर्माण भी हो चुका है। न्यास परिभ्रमण प्रस्ताव दिनांक 25.03.1998 मे लिये गये निर्णय अनुसार तत्कालिन नगर सुधार न्यास वर्तमान अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की 13 योजना हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया। हस्तान्तरित की जाने वाली योजना मे छतरी योजना भी सम्मिलित थी परन्तु तत्समय उक्त छतरी योजना हस्तान्तरित नही की गई है। अतः इस प्रस्ताव के जरिये छतरी योजना नगर निगम, अजमेर को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 19 एवं 48(3) के अनुसार यदि प्राधिकरण मे निहित किसी भूमि की किसी भी समय निगम, अजमेर नगर परिषद किशनगढ, या नगर पालिका बोर्ड पुष्कर द्वारा अपने कृत्यों के पालन के लिए या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा ऐसी भूमि नगर निगम अजमेर नगर परिषद किशनगढ ओर नगर पालिका बार्ड पुष्कर या राज्य सरकार के किसी विभाग को ऐसे निबंधनों और शर्तो पर सौंप सकेगी जो उचित समझी जायें के प्रावधान है। श्रीमान शासन उप सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश कमाक एफ.1(19)नविआ/82/जयपुर दिनांक 4.10.1982 के अनुसार न्यास की योजना क्षेत्र के विकसित होने तथा योजना के पूर्ण हो जाने पर उसे संबंधित नगर पालिका/परिषद को तत्काल हस्तान्तरित कर दिया जावेगा ऐसी हस्तान्तरित योजना मे समस्त शक्तिया नगर परिषद/पालिका द्वारा ही प्रयोग मे लाई जावेंगी तथा नगर परिषद/पालिका द्वारा ही समस्त सुविधाए प्रदान की जायेगी ऐसी योजना क्षेत्र की समस्त भूमि नगर परिषद/पालिका मे निहित हो जावेगी श्रीमान प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमाक प.18(1)नविवि/3/04/जयपुर दिनांक 15.04.2010 के बिन्दू संख्या 2 (1) के अनुसार राजस्थान आवासन <u>मण्डल/प्राधिकरणो/न्यासों</u> द्वारा विकसित योजनाओ को निगम/परिषद/पालिका को हस्तान्तरित किये जाने पर योजना मे अवस्थित विक्रय योग्य समस्त सम्पति भी हस्तान्तरित की जावेगी तथा हस्तान्तरण के पश्चात उक्त सम्पति के विक्रय से प्राप्त शत –प्रतिशत आय निगम/परिषद/पालिका की रहेगी। अतः अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 19 व 48(3) एवं राज्य सरकार के आदेश 4.10.1982 व 15.4.2010 के तहत दिये गये निर्देशो के क्रम मे प्राधिकरण की छतरी नगर योजना नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव कमेटी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।**	प्रभारी अधिकारी योजना उपायुक्त
13	**अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जोन–1 एवं जोन–2 के जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुमोदन के प्रस्ताव पर चर्चा।** अजमेर रीजन के 78 राजस्व ग्रामो को सम्मलित करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अर्न्तगत अजमेर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2013 से 2033 को दिनाक 5/1/2021 को जारी किया गया। मास्टर प्लान की क्रियान्वति के लिए मास्टर प्लान मे अधिसुचित नगरीय क्षेत्र को 10 जोन्स मे विभजित कर, प्रतयेक जोन का	निदेशक आयोजना निदेशक आयोजना अ. वि. प्रा., अजमेर

Scanned with CamScanner

जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 18/यूडीडी/सेक्टर प्लानल/2015–2967–2307 दिनांक 04.04.2019 द्वारा जारी जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने के लिए जारी गाईड लाईन्स के अनुसरण में प्राथमिकता से दो जोनल प्लान कार्यालय द्वारा बनाये गये है, जो निम्न प्रकार से हैः–

फायसागर जोनल डवलपमेन्ट प्लान (जोन–1)

1. फॉय सागर जोनल डवलपमेंट प्लान :– इस जोन की सीमाये निम्न प्रकार से है। उत्तर में ऋषि घाटी से पुष्कर घाटी तक की रोड़, दक्षिण में नगरीय सीमा पूर्व में तारागढ पहाड़ की तलहटी एवं पश्चिम दिशा में नाग पहाड़ शहरी सीमा तक। इस जोन का प्रमुख लैण्डमार्क फॉयसागर झील है। इस जोन का क्षेत्रफल 2900 हैक्टेयर है तथा इस जोन की अनुमानित जनसंख्या 1,33,000 व्यक्ति है। इस जोन में ग्राम थोक मालियान का आबादी क्षेत्र, ग्राम बोराज काजीपुरा, ग्राम हाथीखेड़ा, ग्राम कोटड़ा एंव ग्राम नौसर की भूमि सम्मिलित है। फॉयसागर जोन क्षेत्र में नगर निगम अजमेर के वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 सम्मलित हैं।
2. इस जोन में अजमेर विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनायें यथा, हरिभाउ उपाध्याय नगर मुख्य एवं विस्तार योजना, बी. के. कौल आवासीय योजना, कोटड़ा आवासीय योजना एवं महाराणा प्रताप आवासीय योजना स्थित हैं। यह समस्त योजनायें विकसित है तथा केवल इस जोन के लिए वरन सिटी लेवल की फेसिलिटी इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं।
3. जोन का विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र 2021 एवं प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र 2033 तैयार किया गया है। जोन पर कुल 13 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये है। जिनकी मौका जांच की जाकर रिपोर्ट तैयार की गयी है। जो कि बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।
4. जोन डवलपमेन्ट प्लान रिपोर्ट मय नक्शे के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निदेशक आयोजना
अ. वि. प्रा., अजमेर

आनासागर जोनल डवलपमेंन्ट प्लान (जोन–2)

इस जोन का क्षेत्रफल 3235.76 हैक्टेयर हैं, इसकी सीमायें उत्तर में पुष्कर बायपास दक्षिण में आनासागर झील को सम्मलित करते हुये ऋषि घाटी से पुष्कर घाटी तक की सड़क, पूर्व में माकड़वाली रोड़–सीकर रोड़ तक, एवं पश्चिम में अरबन लिमिट. हैं।

इस जोन का प्रमुख लैण्डमार्क प्रसिंद्व आनासागर झील हैं। इस योजना में ग्राम नौसर, चौरसियावास, थोक तेलियान, नौसर एवं लोहागल ग्राम की भूमि सम्मिलित हैं तथा इस जोन में नगर निगम अजमेर के वार्ड सख्यां 66,71,72,73,74,75,76,77,78,79 व 80 सम्मिलित हैं।

इस जोन की अनुमानित जनसंख्या 149000 हैं।

इस जोन में प्राधिकरण की पुरानी आवासीय योजना वैशाली नगर, शास्त्री नगर, छतरी योजना सम्मिलित तथा पंचशील ए, बी, सी, डी, एवं ई तथा पृथ्वीराज नगर एवं विजयराजे सिंधिया नगर स्थित हैं। वर्तमान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आनासागर लेक फ्रन्ट डवलपमेंन्ट प्रोजेक्ट के तहत लेक के विकास कार्य कर चारो और पाथ वे बनाकर मनोरंजनार्थ सुविधायें विकसित की हैं जो कि शहरी स्तर की उच्च श्रेणी की सुविधाये हैं।

निदेशक आयोजना
अ. वि. प्रा. अजमेर

इस जोन में प्राधिकरण की योजनाओं में जोन स्तर की समस्त सुविधायें निवासियों को उपलब्ध हैं।

Scanned with CamScanner

जोन का विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र 2021 एवं प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र 2033 तैयार किया गया है। जोन पर कुल 46 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये है। जिनकी मौका जांच की जाकर रिपोर्ट तैयार की गयी है। जो कि बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।
जोनल डवलपमेन्ट प्लान रिपोर्ट मय नक्शे के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

प्राधिकरण की 21वी बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 13 के क्रम में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये जोन–1 फॉयसागर जोनल डवलपमेंट प्लान एवं जोन–2 आनासागर जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रस्तावों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाकर बैठक में सदस्यों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तत्पश्चात् बाद विचार विमर्श निम्नलिखित निर्णय सर्व सम्मति से लिये गयेः–

सिद्वान्तः मास्टर प्लान के प्रस्तावित भू–उपयोगों को यथावतः प्रस्तावित रखा गया है इसी प्रकार सहवन से रह गये कमिटमेंट को सही कर जोनल प्लान में दर्शा दिया गया है तथा नियमानुसार प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्रकरणों को भी जोनल डवलपमेन्ट प्लान में समायोजित माना गया है।

मास्टर प्लान प्रस्तावों में कई ऐसे क्षेत्र दर्शाये गये है जिन्हे स्पेशल एरिया के रूप में दर्शाया हुआ है। यह वह क्षेत्र है जहां पर फेसिलिटी एरिया/पार्क एवं ओपन स्पेस ऐरिया पर मौके पर आवासीय निर्माण हो गये है, इन क्षेत्रों को जोनल डवलपमेन्ट प्लान में यथावत प्रस्तावित किया गया है। इन क्षेत्रों में अन्तिम निर्णय राज्य सरकार स्तर पर ही लिया जाना है, अतः ऐसे समस्त प्रकरणों के प्रस्ताव बना कर राज्य सरकार को भिजवाये जायेंगें तदानुसार इन क्षेत्रों के बारे में कार्यवाही अंजाम में ली जायेगी।

जोन–1 फॉयसायगर जोनल डवलपमेन्ट प्लान

निदेशक आयोजना
अ. वि. प्रा., अजमेर

फॉयसागर जोनल डवलपमेंट प्लान पर कुल 06 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये जिनमें 15 बिन्दु अंकित थे। इनमें से 5 बिन्दु स्वीकृत योग्य पाये गये, 4 बिन्दु अस्वीकृत, 4 बिन्दुओं में कोई कार्यवाही कीया जाना अपेक्षित नही समझा गया एवं 2 बिन्दुओ पर निर्णय हेतु प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

स्वीकृत किये गये प्रकरणों का विवरणः–

1. अद्वेत आश्रम से बी.के. कौल की प्रमुख सड़क को जोडने वाली 80 फिट चौड़ी मास्टर प्लान सड़क पर व्यवसायिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए इस सड़क के दोनो ओर सडक की चौडाई का डेढ गुणा अथवा एकल सम्पत्ति गहराई जो भी कम हो मिश्रित भू–उपयोग प्रस्तावित किये जाने को निर्णय लिया गया ।
2. बी.के. कौल योजना की 120 फिट चौडी सड़क पर स्थित सिनेवर्ल्ड सिनेमा हॉल के स्थल को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ मास्टर प्लान अनुसार यथावत दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।
3. महाराणा प्रताप आवासीय योजना के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मित्तल नर्सिंग होम से राम मंदिर जाने वाली 60 फिट चौडी सड़क पर स्थित माहेश्वरी इंटरनेशनल स्कूल के विद्यमान स्कूल कम्पाउड को मास्टर प्लान प्रस्ताव के अनुरूप स्कूल में दर्शाने के पश्चात् स्कूल से लगते हुए भू–भाग को आवासीय भू–उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

4. मित्तल नर्सिंग होम से राम मंदिर जाने वाली 60 फिट चौड़ी सडक पर स्थित मास्टर प्लान में दर्शाया गया अस्पताल भू–उपयोग क्षेत्र के कुछ हिस्से पर तत्कालीन यू.आई.टी द्वारा योजना बनाकर छोटे भूखण्ड आवंटित किये गये है मौके पर गोटा किनारी उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा मकान बनाकर यहा पर निवास किया जा रहा है।
   सहवन से इस भू भाग पर अस्पताल के प्रस्ताव मास्टर डवलपमेंट प्लान अजमेर 2033 में दे दिये गये थे अतः कमिटमेंटस को दृष्टिगत रखते हुए मास्टर प्लान मे प्रस्तावित अस्पताल के आंशिक भू भाग जो कि स्वीकृत योजना का भू भाग है को अस्पताल के स्थान पर आवासीय भू–उपयोग दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष प्रस्तावित अस्पताल के क्षेत्र को मास्टर प्लान के अनुरूप यथावत रखने का निर्णय लिया गया।
5. बिशम्बर नाथ टंडन सैनटॉरीयम धर्मशाला अजमेर जरीए Trusty & President श्री निवारण नाथ टण्डन (सेवानिवृत आईएएस) संस्था फायसागर रोड पर स्थित अपनी प्रोपर्टी जिसे मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान में अस्पताल दर्शाया हुआ है को बेचान कर, प्राप्त धन राशि को केन्सर केन्द्र को डोनेट करना चाहती है। अतः इस महत्वपूर्ण परपज के लिए संस्था से इस आशय का अन्डरटेकिंग लेते हुए कि आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन के उपरान्त भूमि के बेचान से प्राप्त आय संस्था जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को केन्सर केन्द्र के निर्माण में दे देगी, उक्त प्रकरण में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को निर्णयार्थ भिजवाएं जाने का निर्णय लिया गया।

फॉयसागर जोन का महत्वपूर्ण लेण्ड मार्क फॉयसागर झील है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.02.2021 में मास्टर प्लान प्रस्तावो के अनुरूप फायसागर लेक डवलपमेंट प्लान को उदयपुर की फतहसागर की तर्ज पर विकसित किये जाने की सैद्धांतिक सहमति देते हुए डिपीआर बनाये जाने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान फायसागर लेक फ्रंट डवलपमेंट का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

इस प्रयोजनार्थ लेक क्षेत्र की अप्रोच रोड का विकास मास्टर प्लान प्रस्तावो के अनुरूप किया जाना एवं फॉयसागर क्षेत्र के एंट्रीपाइन्ट का सौदर्यकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में लेक के साथ–साथ ग्रीन बफर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसमें बर्डसेन्चूरी, डीयरपार्क, वॉकिंगट्रेक इत्यादि विकास कार्य प्रस्तावित किये जा सकेगे।

निदेशक आयोजना
अ. वि .प्रा., अजमेर

जोन–2 आनासागर जोनल डवलपमेन्ट प्लान

आनासागर जोनल डवलपमेंट प्लान पर कुल 48 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए प्राप्त आपत्ति/सुझाव में से 4 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य पाये गये। तथा 28 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत किये गये। इनमे से अधिकत्तम आपत्ति सुझाव आनासागर सरक्यूलर रोड पर आनासागर से प्रभावित क्षेत्र के थे। प्रार्थीयों द्वारा मास्टर प्लान प्रस्तावो के विपरीत जोनल डवलमेंट में संशोधन करने के लिए लिखा गया था। जिसे स्वीकार योग्य नही माना गया। तथा 7 आपत्ति सुझावों में कोई कार्यवाही करना अपक्षित नही पाया गया। एवं 9 आपत्ति सुझाव स्पेशल ऐरिया से संबंधित है जिन पर निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है।

Scanned with CamScanner

	स्वीकृत योग्य आपत्ति/सुझावो का विवरणः— 1. जोनल डवलपमेंट प्लान में आनासागर सरक्यूलर रोड से चौरसियावास रोड को जोडने वाली 100 फिट चौडी सडक के दोनो ओर सडक की चौडाई का डेढ गुणा अथवा एकल सम्पत्ति गहराई जो भी कम हो मिश्रित भू उपयोग प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया है। (चारों स्वीकृत आपत्ति/सुझाव इसी मार्ग से संबंधित है) **निर्णयः— प्राधिकरण की 21वी बैठक का कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या 13 पर वर्णित एजेंडा अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये जोन—1 फॉयसागर जोनल डवलपमेंट प्लान एवं जोन—2 आनासागर जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रस्तावों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाकर विस्तार से चर्चा की गई तत्पश्चात् बाद विचार विमर्श निम्नलिखित निर्णय सर्व सम्मति से लिये गये।**	निदेशक आयोजना अ. वि. प्रा. अजमेर
14	**अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ।** 1. अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अरिहन्त मार्गी जैन महासंध को 500 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को प्रभारी अधिकारी आवंटन द्वारा सदन के समक्ष रखा गया। श्री अरिहन्त मार्गी जैन महासंध दिल्ली, अजमेर शाखा द्वारा प्रपत्र अ में दिनांक 11.12.2017 को आवेदन प्रस्तुत कर पंचशील योजना के ए.बी.सी. के सेक्टर में 600 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर भूमि की मांग की गई, संशोधित आवेदन पत्र दिनांक 10.09.2021 से कोटडा योजना में 600 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के लिए निवेदन किया गया। प्रभारी आवंटन ने अवगत कराया कि भूमि चिन्हीकरण का कार्य किया जाना शेष है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने भूमि चिन्हित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। **निर्णयः— वाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आवंटन हेतु प्रस्ताव पर सदन द्वारा 500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हिकरण कर आवंटन हेतु सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई।**	**प्रभारी आवंटन शाखा**
	2 अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से रेल्वे क्रोंसिंग एल.सी.—1 पर आर.ओ.बी. के निर्माण में दयानन्द कॉलेज अजमेर की 0.8728 हेक्टयेर भूमि उपयोग पर प्रभारी अधिकारी अवाप्ति शाखा ने विस्तृत चर्चा प्रारम्भ करते हुए बताया कि ग्राम अजमेर थोकमालियान द्वितीय के खसरा संख्या 6906, 6907, 6908, 6909, 6914, एवं ग्राम अजमेर थोकमालियान तृतीय के खसरा संख्या 8550, 8551,8555, 8558, 8559, 8562,8642 एवं 8643 की कुल 0.8728 हैक्टेयर (8728 वर्गमीटर) भूमि रेलवे क्रॉसिंग एल सी—1 के निर्माण में उपयोग में ली जानी है उक्त भूमि के विषय में तथ्य निम्नानुसार है :— 1. भूमि अवाप्ति प्रकरण संख्या 3/1943 तत्समय प्रवृत नियम इनेक्टमेंट रुल्स एवं भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 आदि विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत आर्य समाज शिक्षा सभा हेतु ''डी.ए.वी. एग्रीकल्चर एण्ड इन्डस्ट्रियल कॉलेज'' स्थापित करने के लिए अजमेर के राजस्व ग्राम	**प्रभारी भूमि अवाप्ति शाखा** भूमि अवाप्ति अधिकारी अ. वि. प्रा. अजमेर

Scanned with CamScanner

थोक मालियान की करीबन 105.08 एकड खातेदारी भूमियों को अवाप्त की जाकर भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 39 के तहत् आर्य समाज शिक्षा सभा एवं तत्कालीन अजमेर मेरवाडा सरकार के मध्य करार निष्पादित किया गया था।

2. कम्पनी (आर्य समाज शिक्षा सभा) द्वारा अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 39 के अन्तर्गत किया गया अनुबंध और उसकी शर्तों का उल्लघंन होने से भूमि वापस लेने के निर्णय हेतु जिला कलक्टर अजमेर द्वारा प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पं.1 (68) राज–6/2017 दिनांक 11.12.2017 द्वारा एग्रीमेंट की शर्त संख्या 3(ई) के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर अजमेर को अधिकृत किया गया।

3. कम्पनी द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक 32 दिनांक 27.02.2018 द्वारा अतिरिक्त कलक्टर प्रथम की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाकर अवाप्त भूमि का स्थल निरीक्षण एवं स्पष्ट राय देने हेतु निर्देशित किया गया । कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एग्रीमेंट की शर्तो का उल्लंघन होने के कारण एग्रीमेंट दिनांक 26.01.1946 के द्वारा अवाप्त कर उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण भूमि आदेश क्रमांक 45 दिनांक 27.03.2018 द्वारा सिवायचंक दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। आदेश क्रमांक 46 दिनांक 05.04.2018 के द्वारा उक्त कुल 242–13–15 बीघा भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी गई।

4. राजस्व (ग्रुप–6) द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.05.2019 के द्वारा जिला कलक्टर,अजमेर को कतिपय निर्देश प्रदान करते हुए आदेश दिनांक 27.03.2018 का पुर्नवलोकन कर निरस्त करने कि निर्देश प्रदान किये गये, इस परिपेक्ष में तीनो पक्षों के द्वारा चर्चा की गई और राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देश की अनुपालना में निम्न शर्तो की पालना के अध्यधीन अपनी सहमति प्रकट की गई।

   1. यह कि दयानन्द कॉलेज प्रशासन, अजमेर भूमि के सम्बन्ध में माननीय राज. उच्च न्यायालय में पेश सिविल रिट पीटिशन 9300/2018 उनवान डीएवी कॉलेज व अन्य बनाम राज0 सरकार व अन्य को विड्रो करेगे।
   2. यह कि दयानन्द कॉलेज प्रशासन, अजमेर उक्त भूमि का आवंटन आदेश/एग्रीमेंट की शर्तों की पालना के अधीन उपयोग करेंगे, किसी भी स्थिति में भूमि का वाणिज्यक/व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जाएगा। उक्त भूमि पर वर्तमान में संचालित दुकानों के संबध में सक्षम न्यायालय में कॉलेज द्वारा दुकाने खाली कराने की कार्यवाही चल रही है। जिसमें न्यायालय निर्णय के अनुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
   3. यह कि दयानन्द कॉलेज प्रशासन, अजमेर रेलवे लेवल क्रॉसिंग

Scanned with CamScanner

एलसी–1 पर आरओबी निर्माण के लिए 0.8728 हैक्टेयर भूमि निःशुल्क प्रदान करेगा।

4. यह कि आरओबी निर्माण में प्रस्तावित/वांछित भूमि के उपयोग व उपभोग में दयानन्द कॉलेज प्रशासन/समिति के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से दखल नही किया जायगा और इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।
5. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध मे अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा भूमि को पुनः दयानन्द कॉलेज को सुपुर्द करने की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। जिसमें यदि किसी प्रकार का कोई शुल्क वांछित हो तो दयानन्द कॉलेज प्रशासन, अजमेर द्वारा अदा किया जाएगा।
6. यह कि उक्त भूमि पर बनाये जाने वाले आरओबी का नाम दयानन्द सेतु रखने पर विचार किया जायेगा।
7. यह कि उक्त भूमि को पुनः दयानन्द कॉलेज को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाकर पुनः राजस्व रिकार्ड में नाम दयानन्द कॉलेज के पूर्वानुसार इन्द्राज किया जावेगा।

इस पर चर्चा करते हुये प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति ने अवगत कराया कि माननीय जिला कलक्टर महोदय ने राजस्व सचिव महोदय के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर Review किया एवं Memorandom of Understanding (MOU) तैयार करवाया है। MOU के अनुसार दयानन्द कॉलेज अजमेर की कुल भूमि 242–13–15 बीघा भूमि दयानन्द कॉलेज को पुनः लौटाई जानी है एवं रेलवे क्रॉसिंग एलसी–1 हेतु उपयोग में आने वाली कुल 0.8728 हेक्टेयर भूमि दयानन्द कॉलेज प्रशासन द्वारा निःशुल्क प्रदान की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी ने आगे यह अवगत कराया कि उक्त बिन्दुओं पर सहमति होने पर प्रिंसिपल एवं अधिकृत प्रतिनिधि दयानन्द कॉलेज अजमेर प्रथम–पक्ष, सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वितीय–पक्ष एवं जिला कलक्टर अजमेर तृतीय–पक्ष के मध्य एक Memorandom of Understanding (MOU) निष्पादित किया गया जिसमें यह तय किया गया कि प्रश्नगत 0.8728 हेक्टेयर भूमि रेलवे लेवल क्रॉसिंग एलसी–1 पर आरओबी निर्माण हेतु दयानन्द कॉलेज प्रशासन द्वारा निःशुल्क प्रदान की जावेगी ।

प्रभारी अधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि उक्त (MOU) कि स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग से निवेदन किया गया था जिस पर नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक पं.1(40) नविवि/अविप्रा/2019/दिनांक 07.09.2021 से

Scanned with CamScanner

	निर्देशित किया गया है कि अजमेर विकास प्राधिकरण, अधिनियम 2013 की धारा 45 के तहत् कार्यवाही हेतु प्राधिकरण सक्षम है पृथक से राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक नही है । अतः उपरोक्त Memorandom of Understanding(MOU) का अनुमोदन किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत है। निर्णयः— प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।	

बैठक अन्त में सधन्यवाद समाप्त की गई।

अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यगण

श्री प्रकाश राजपुरोहित जिला कलक्टर, अजमेर एवं अध्यक्ष अ.वि.प्रा, अजमेर।

श्रीमती बृजलता हाड़ा, मेयर, नगर निगम, अजमेर।

श्री अक्षय गोदारा, आयुक्त, अ.वि.प्रा, अजमेर

श्री किशोर कुमार, सचिव, अ.वि.प्रा अजमेर

श्री भूपेन्द्र कुमार, वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर।

श्री राजीव कुमार,SE जन स्वास्थय एवं अभियान्त्रिकी.विभाग, अजमेर।

श्री एन. के. भटनागर अधीक्षण अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड़ अजमेर।

श्री त्रिलोचन कुमावत अधिशाषी अभियंता (प्रतिनिधि) सभापति, नगर परिषद् किशनगढ़

श्री लक्ष्मीनारायण रावत, कनिष्ठ अभियंता (प्रतिनिधि) उपाध्यक्ष,नगर पालिका पुष्कर।

क्रमांक/अ.वि.प्रा/संस्था/प.1/2021/ 578-598 दिनांक 24 SEP 2021

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. निजी सहायक, जिला कलक्टर, अजमेर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, महापौर, नगर निगम, अजमेर।
7. निजी सचिव, जिला प्रमुख, अजमेर
8. सभापति, नगर परिषद्, किशनगढ़, अजमेर।
9. सभापति, नगरपालिका बोर्ड, पुष्कर, अजमेर।
10. अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, निगम लि., अजमेर।
11. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर।
12. मुख्य प्रबंधक, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
13. उपायुक्त उत्तर/दक्षिण, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
14. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
15. निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
16. तहसीलदार, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
17. उप नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

(किशोर कुमार)
सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

Scanned with CamScanner